REGISTERED No. D. 222

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1963/PAUSA 29, 1884

NOTICE

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published upto the 9th January, 1963:—

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
3.	No. F. 25 (53)-NS/62, dated 3rd January, 1963.	Ministry of Finance.	Corrections to printing errors on the results of the Tenth quarterly draw for prizes on the Five Year Interest Free Prize Bonds, 1965.
4.	No. 1-ITC (PN)/63, dated 5th January, 1963.	Ministry of Commerce & Industry.	Export of Vanaspati/Hydrogenates Oil, Refined Vegetable Oils (including Salad Oil) and Groundnut Oil.
5.	No. 2-ITC (PN)/63, dated 7th January, 1963.	Ditto.	Import of Palladium solders [S. No. 17 (a)-II)] against export of jewellery studded with precious stones and diamonds under Export Promotion Scheme.
6.	No. 10 (2)TEX (C)/62, dated 8th January, 1963.	Ditto.	Decision to set up a Committee to enquire into the problems of the Powerloom Industry.
7.	No. 3-ITC (PN)/63, dated 9th January, 1963.	Ditto.	Allotment of Newsprint to new publications.

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

CONTENTS

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	43
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Governme t of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	33
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers, issued by the Ministry of Defence	17
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	Nil
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	Nil
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	95
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	193
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and orders notified by the Ministry of Defence	13
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India (*Published at Simla*)	73
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta (*Published at Simla*)	21
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners (*Published at Simla*)	5
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including notifications, orders, advertisements and notices issued by Statutory Bodies (*Published at Simla*)	7
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private bodies (*Published at Simla*)	7
SUPPLEMENT No. 3—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 12th January, 1963	33
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 22nd December, 1962	39

PART I—Section 1

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

MINISTRY OF FINANCE

(Communications Division)

New Delhi, the 8th January 1963

No. 7870-PTI/62—The President hereby directs that the following further amendment shall be made in the rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely:—

In rule 35 of the said rules, the following Note shall be inserted at the end, namely:—

"NOTE.—The Postmaster-General may, in his discretion, allow the withdrawal of an application for surrender before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a course by him and if such a withdrawal would not adversely affect the interests of the Fund".

C. B. GULATI, Dy. Secy.

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय

(लोहा तथा इस्पात विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1962

इस्पात प्रतिधारन-मूल्य

संख्या एस० सी० (सी).2(27)/62.—टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को देय इस्पात के एक समान प्रतिधारण मूल्यों की 1955 में प्रशुल्क आयोग द्वारा जांच की गई। सरकार ने अपने संकल्प क्रमांक एस० सी० (ए०)-2(149)/55 दिनांक 1 फरवरी 1956 द्वारा प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि दो प्रमुख उत्पादकों को देय औसत प्रतिधारण मूल्य 393 रुपये प्रति टन निर्धारित किया जाए। सरकार ने रेल भाड़े में परिवर्तन तथा कोयले और दूसरे ईंधनों इत्यादि के परिनियत मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रतिधारण मूल्यों में एस्कलेशंस के दावों की गुणानुसार जांच करना भी स्वीकार कर लिया। एस्कलेशंस की स्वीकृति के फलस्वरूप 1956 में निर्धारित किए गए मूल प्रतिधारण मूल्यों में एस्कलेशन धारा के अधीन चार बार वृद्धि की गई और 31 मार्च 1960 को प्रवृत भारित माध्य एस्कलेटिड प्रतिधारण मूल्य 474.59 रुपये प्रति टन था जिसमें उत्पादन शुल्क भी शामिल था। उस समय जो मूल्य निर्धारित किया गया था वह पांच वर्ष अर्थात् 1955-56 से 1959-60 तक की अवधि के लिए था।

2. 13 मार्च, 1961 को सरकार ने प्रशुल्क आयोग को निर्देश किया कि वह इस्पात कम्पनियों के साथ किए गए विविध समझौतों को ध्यान में रखते हुए इन बातों की जांच करे और अपनी सिफारिशें दे कि (i) 1 अप्रैल, 1960 से 31 मार्च 1962 तक की अवधि के लिए इस्पात के सामान्य प्रतिधारण मूल्य क्या होने चाहिएं; और (ii) टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० को सरकार द्वारा दिए गए विशेष अग्रिम धन के ब्याज सहित भुगतान के लिए मूल्य में अतिरिक्त रूप से किस विशेष तत्व की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. 1 अप्रैल, 1960 से 31 मार्च, 1962 तक की अवधि के लिए अपिधम लोहे के मूल्य निर्धारण के विषय में इसी प्रकार का एक निदेश 1 अगस्त, 1961 को किया गया। इस बीच में वित्त मंत्रालय की लागत-लेखा शाखा द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की प्राथमिक लागत की जांच के पश्चात् सरकार ने इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों को लगभग 512 रुपये प्रति मीट्रिक टन (tonne) की औसत तक बढ़ाने का निश्चय किया। यह मूल्य अस्थायी था और इसमें प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर किए गए सरकार के फैसले की रोशनी में फेरबदल किया जा सकता था।

4. आयोग ने जांच के पश्चात् अप्रैल, 1962 के अन्त में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

(i) 1960-62 के लिए विक्रेय इस्पात का औसत उचित मूल्य (विशेष अग्रिम धन तथा उन पर लगे ब्याज की अदायगी के लिए विशेष तत्व सहित) 550 रुपये प्रति टन होना चाहिए। यह सिफारिश विद्यमान इकाइयों के कैपिटल ब्लाक्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा निर्धारित फेयर अथवा स्टैन्डर्ड ब्लाक्स के परिगणन के आधार पर की गई थी। प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की कि 1960-62 की मूल्य अवधि के लिए विक्रेय इस्पात का 1300 रुपये प्रति टन का कैपिटल ब्लाक यथोचित रूप में प्रतिनिधि होगा।

(ii) विक्रेय इस्पात के 1300 रुपए प्रति टन के प्रतिनिधि ब्लाक पर 8 प्रतिशत प्रतिफल और छमाही लागत खर्च पर आधारित अनुमानित सक्रिय पूंजी के 5 प्रतिशत के बराबर ब्याज दिया जाए।

(iii) 20 वर्षों की अवधि में विस्तृत समीकृत अदायगी के आधार पर विशेष अग्रिम धन तथा उसके ब्याज की रकम को लौटाने के लिए प्रतिधारण मूल्य में मान्य विशेष तत्व विक्रेय इस्पात पर 8 रुपए प्रति टन होना चाहिए। (यह तत्व 550 रुपए प्रति टन के मूल्य में सम्मिलित है)।

1960-62 के लिए इस्पात पिण्डों का उचित प्रतिधारण मूल्य विशेष अग्रिम धन तथा उसके ब्याज की रकम को लौटाने के लिए 8 रुपए प्रति टन का विशेष तत्व सम्मिलित करने पर 341 रुपये प्रति टन होना चाहिए।

(v) आयोग द्वारा सिफारिश की गई अपिधम लोहे की कीमत वर्तमान मूल्यों से लगभग 3 रुपये प्रति टन अधिक है।

5. देश में लोहे और इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग ने कुछ सामान्य किस्म की अन्य सिफारिशें भी की हैं।

6. आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि 1960-62 की अवधि के लिए 1300 रुपये प्रति मीट्रिक टन के ब्लाक को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार ने प्रतिधारण मूल्य को 1176 रुपए प्रति मीट्रिक टन के ब्लाक पर आधारित करने का निश्चय किया है। इस रकम पर पहुंचने में प्रशुल्क आयोग द्वारा दी गई इष्टतम 90 प्रतिशत क्षमता के स्थान पर संयंत्रों के शत प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने का आधार लिया गया है तथा सरकार द्वारा कम्पनियों को दिए गए विशेष अग्रिम धन को कैपिटल ब्लाक से निकाल दिया गया है। सरकार यह भी सोचती है कि छः महीनों की उत्पादन लागत के समतुल्य मानी गई सक्रिय पूंजी की व्यवस्था कुछ अधिक है और महसूस करती है कि चार महीनों के उत्पादन के आधार पर की गई व्यवस्था पर्याप्त होगी। अतः 1959 में किए गए अपने प्रथम निर्णय का संशोधन करते हुए सरकार का विचार है कि प्रतिधारण मूल्य में विशेष अग्रिम धन तथा उनके ब्याज

की अदायगी के लिए विशेष तत्व की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। कम्पनियों के साथ किए गए समझौतों में विशेष अग्रिम धन तथा ब्याज के एक भाग की अदायगी के लिए एक वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था है। नामशः सरकार द्वारा कम्पनियों के साथ सहमत हो कर निश्चित किए हुए समय या समयों पर कम्पनियों द्वारा अंश पूंजी का जारी करना। इस पर सरकार और अधिक विचार करेगी, तदनुसार सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा इस कारण सिफारिश किए गए 8 रुपए प्रति टन के तत्व को प्रतिधारण मूल्य में न सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप प्रमुख उत्पादकों द्वारा सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित इस्पात का 1 अप्रैल, 1960 से 31 मार्च, 1962 की अवधि के लिए औसत प्रतिधारण मूल्य की एक समान दर 522.50 रुपए प्रति टन निर्धारित की जाएगी। यह मूल्य पहले निर्धारित किए गए अस्थाई मूल्य से 10.50 रुपए प्रति टन अधिक होगा जबकि प्रशुल्क आयोग ने 38 रुपए प्रति टन की वृद्धि के लिए सिफारिश की थी। इस फैसले के अनुसार प्रशुल्क आयोग द्वारा इस्पात की विभिन्न किस्मों के लिए सिफारिश किए गए विस्तृत प्रतिधारण मूल्यों में उचित कमी कर दी जाएगी और उनकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी। भ्रम निवारणार्थ सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि प्रमुख उत्पादकों को देय प्रतिधारण मूल्य बढ़ाने के बारे में सरकार के इस फैसले से जनता को बेचे जाने वाले विभिन्न इस्पात के नियंत्रित मूल्य नहीं बढ़ेंगे।

7. ऐसे ही कारणों से सरकार का इस्पात पिण्डों का प्रतिधारण मूल्य 326 रुपए प्रति टन निर्धारित करने का विचार है। इसी प्रकार सक्रिय पूंजी में कम व्यवस्था के कारण कटौती करने के पश्चात् सरकार अपघम लोहे का प्रतिधारण मूल्य प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश किए गए प्रतिधारण मूल्य से 1 रुपये प्रति टन कम निर्धारित करने का विचार करती है।

8. सरकार ने कच्चे माल (विशेषकर कोयले) की नियमित सप्लाई, सिंटरिंग और कच्ची धातुओं की संचालन सुविधाओं में सुधार, कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के लिए अधिक नियमित परिवहन व्यवस्था, आधुनिकतम तकनीकी उन्नत प्रविधियों के अपनाने के बारे में अन्य सामान्य सिफारिशों पर भी विचार किया है। सरकार इन्हें स्वीकार कर चुकी है और इस्पात कारखानों को इन्हें लागू करने के लिए भी कहेगी।

9. आयोग की सिफारिशें केवल 1 अप्रैल, 1960 से लेकर 31 मार्च, 1962 तक की अवधि के लिए हैं। 1 अप्रैल, 1962 से आगे के लिए निर्धारित किए जाने वाले मूल्य पर भी विचार निश्चित करना है। सरकार ने फैसला किया है कि 1960.62 की अवधि के लिए निर्धारित किए जाने वाले मूल्य (क) कोयले के परिनियत मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि और (ख) 1 जुलाई, 1962 से रेल भाड़े में वृद्धि के कारण आवश्यक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से 1 अप्रैल 1962 के पश्चात् भी लागू रहेंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव भी शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल, 1962 के बाद के लिए निर्धारित किए जाने वाले अन्तिम मूल्यों का फैसला और अधिक विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० एन० वांचू, सचिव।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd January 1963

No. 15(21)-Tex(D)/62.—The Government of India have decided to set up an Export Promotion Panel for Woollen goods at Bombay. The functions of the Panel will be:—

(a) to act as channel of communication between the Government of India, Development Council for Woollen Industry and the exporting interests, so as to facilitate the discussion of problems facing the export of the entire range of woollen goods;

(b) to make recommendations regarding the best means and methods of expanding exports of woollen goods to both traditional and non-traditional areas;

(c) to promote interest among manufacturers of woollen goods in the expansion of sales overseas;

(d) to advise Government on the nature and type of export promotion incentives and the working of the Export Promotion Scheme, with a view to step up exports;

(e) settlement of complaints of overseas buyers.

2. While the main functions of the Panel will be to make recommendations they should be consistent with the general policies laid down by the Government of India from time to time in regard to foreign trade. The composition of the Panel will be as follows:—

Chairman

1. Shri I. B. Dutt, Industrial Adviser, Government of India, Textile Commissioner's Office, Bombay.

Members

2. Shri J. L. Behl M/s. Pearl Woollen Mill No. 1, G. T. Road, Ludhiana.
3. Shri T. N. Khaitan, M/s. Dhruva Woollen Mills Ltd., Sun Mills Compound, Parel, Bombay-13.
4. Shri G. K. Singhania, M/s. Raymond Woollen Mills, J. K. Building, Dougall Road, Ballard Estate, Bombay-1.
5. Shri V. Calloway, M/s. British India Corporation Ltd., Post Box No. 5, Kanpur.
6. Shri R. K. Birla, M/s. Digvijay Woollen Mills, Jamnagar (Gujarat).
7. Shri N. K. Tandon, Federation of All India Hand-knitting Wool Processors, Amrit Market, Gali Matkon Wali, Sadar Bazar, Delhi-6.
8. Shri B. M. Grover, M/s. Model Woollen Mills, A-C Vulcan Insurance Bldg., Veer Nariman Road, Bombay-1.
9. Shri Brij Lal, Hosiery Industry Federation, Ludhiana.
10. Shri P. C. Mehra, M/s. Diamond Woollen Mills, G. R. Road, Chicharta (Amritsar).
11. Shri K. R. Shah, 14, Garibdas Street, 2nd Floor, Vadgadi, Bombay-3.
12. Shri J. L. Mehra, C/o Maharajmal Hans Raj, Golden Temple, Amritsar.
13. Shri G. C. Dhawan, Hosiery Exporter, York Hosiery Mills, Ludhiana.

Member-Secretary

14. Shri P. Ranjitha, Under Secretary, Ministry of Commerce & Industry Branch Secretariat (Textiles), Bombay.

The Chairman may specially invite other persons connected with the export of woollen goods to attend the meetings.

The Panel shall have powers to appoint sub-committees of exports to deal with special problems or group of problems in regard to the development of export trade in woollen goods.

The Panel shall ordinarily meet at least once a month. The Ministry of Commerce & Industry (Branch Secretariat), Bombay will attend to the Secretarial work of the Panel.

The Panel shall be constituted for a period of two years.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. K. SRINIVASACHAR, Joint Secy.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1962

सं० फा० (1).3(2)/61.—विभिन्न आकारों के पैकिंग में कैल्शियम कारबाइड का कारखाने से चलते समय का विक्रय मूल्य आगे सूचना मिलने तक वही चलता रहेगा जिसकी घोषणा संकल्प सं० फा० (1).3(2)/61, तारीख 5 जनवरी, 1962, में की जा चुकी है।

आर० प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1962

सं० फा०(1).6(9)/61.—सोडा एश के वे मूल्य, जिनकी घोषणा संकल्प सं० फा० (1).6(9)/61, तारीख 5 जनवरी, 1962 में की जा चुकी है और जिनका बाद में आंशिक रूप से एक संकल्प, तारीख 18 जून, 1962 के द्वारा पुनरीक्षण कर लिया गया है, 31 जनवरी, 1963 तक लागू रहेंगे।

ए० एस० नायक, संयुक्त सचिव।

संकल्प

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1962

सं० एल० ई० ई० आई०-4(11)/60.—भारत सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स तथा वायरलैस उपकरण उद्योग के लिए 1960 में एक तालिका का पुनर्गठन किया था। पश्चातवर्ती परिवर्तनों को दृष्टि में रखकर और उस तालिका को अधिक पूर्णतया प्रतिनिधिक बनाने के लिए, भारत सरकार ने अब यह विनिश्चय किया है कि इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० ई० आई०-4(11)/60, तारीख 27 जुलाई 1960 एवं परिशिष्ट सं० ई० ई० आई० 4(11)/60, तारीख 16 सितम्बर, 1960 को अभिष्ठित करके तालिका का निम्न रूप में पुनर्गठन किया जाये—

1. श्री बी० बी० बालीगा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर।
2. कर्नल बी० जे० शहाने, डाइरेक्टर आफ इलेक्ट्रानिक्स, हेडक्वार्टर डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।
3. ले० कर्नल एल० के० मल्होत्रा, डाइरेक्टर आफ प्रोडक्शन एण्ड इन्सपेक्शन (लि०), डिफेंस प्रोडक्शन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली।
4. कमांडर ए० एफ० कोलेको, डाइरेक्टर आफ सिगनल्स, नेवल हैडक्वार्टर्स, डी० एच० क्यू० पोस्ट आफिस, नई दिल्ली।
5. जी० पी० कैप्टेन टी० श्रीनिवासन, डाइरेक्टर आफ सिगनल्स, एयर हैडक्वार्टर्स, डी० एच० क्यू० पोस्ट आफिस, नई दिल्ली।
6. विंग कमान्डर, डी० बी० दास, डिप्टी डाइरेक्टर (एवियेशन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स), डी० टी० डी० एण्ड पी० (एयर), नई दिल्ली।
7. मेजर जनरल आर० एन० बत्रा, डाइरेक्टर आफ सिगनल्स, आर्मी हैडक्वार्टर्स, डी० एच० क्यू० पोस्ट आफिस, नई दिल्ली।
8. श्री ए० सी० रामचन्दानी, चीफ इंजीनियर, आल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली।
9. श्री टी० वी० रामामूर्ति, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली
10. डा० एल० एस० माथुर, डिप्टी डाइरेक्टर जनरल आफ आबजरवेटरीज, लोदी रोड, नई दिल्ली।
11. श्री सी० पी० वासुदेवन, डाइरेक्टर टेलीकम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर, पी० एण्ड टी०, नई दिल्ली।
12. श्री एस० शंकर रामन, डाइरेक्टर आफ टेलीग्राफ्स, पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स (आन फारेन सर्विस विद् दि इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर)।
13. श्री एन० वी गदेधर, एडवाइजर, वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन, मिनिस्ट्री आफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्यूनिकेशन नई दिल्ली।
14. श्री ए० आर० रामनाथन, डाइरेक्टर आफ कम्यूनिकेशन्स, डिपार्टमेंट आफ सिविल एवियेशन, नई दिल्ली।
15. श्री एल० सी० महेन्द्रा, डाइरेक्टर, सिगनल्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन्स, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
16. ब्रिगेडियर अपार सिंह, डाइरेक्टर, पुलिस वायरलेस डाइरेक्टरेट, आफ कोआर्डिनेशन, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स।
17. श्री जे० एन० गुप्त, डिप्टी सुपरिटेंडेंट (इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, सिन्दरी।
18. डा० डी० एल० सुब्रह्मण्यम्, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी।
19. श्री एस० सी० इसरानी, मेसर्स वेस्टर्न एजेंसीज कं०, 421, लैमिंग्टन रोड, बम्बई।
20. डा० पी० के० कापड़ी, मेसर्स फिलिप्स (इंडिया) लि०, नई दिल्ली।
21. श्री जी० आर० एस० राव, नेशनल एकोस्टिक्स एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०, बम्बई।
22. प्रो० एच० एन० रक्षित, रिप्रेजेंटेटिव आफ दि आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एजूकेशन, नई दिल्ली।
23. श्री ए० एस० राव, चीफ साइंटिफिक आफिसर, डिपार्टमेंट आफ एटामिक एनर्जी, बम्बई।
24. श्री आर० के० सिंह, इंजीनियरिंग मैनेजर, गवर्नमेंट प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ।
25. श्री सोहन लाल, सैक्रेटरी, एसोसियेशन आफ रेडियो मैन्युफैक्चरर्स आफ इंडिया, 12 न्यू लाजपतराय मार्केट, दिल्ली-6।
26. श्री पी० एन० देवभक्त, डेवलपमेंट आफिसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) डेवलपमेंट विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

श्री बी० बी० बालीगा इस तालिका के अध्यक्ष होंगे। श्री पी० एन० देवभक्त, डेवलपमेंट आफिसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) इस तालिका के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2. इस तालिका के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(1) इस उद्योग की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे उपाय सुझाना जिससे—

(क) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा और दक्षतापूर्ण उपयोग होना सुनिश्चित हो जाये तथा यदि आवश्यक हो तो लक्ष्य भी निश्चित हो जायें, और

(ख) उत्पादन लागत कर्मकारों की उन दशाओं पर प्रभाव पड़े बिना जिनमें कि वे अधिकाधिक काम कर सकते हैं, युक्तियुक्त स्तरों तक घट जाना सुनिश्चित हो जाये।

(2) इस उद्योग की उत्पादन क्षमता सुधारने या बढ़ाने के लिये उपाय सुझाना ।

(3) विशेष समस्याओं जैसे कि अलाभप्रद यूनिटों के यदि कोई हों, समुपचार के बारे में सलाह देना ।

(4) आयोजन तथा योक्ति की करण सहित इस उद्योग के भावी विकास के बारे में साधारणतः सलाह देना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, कैबिनेट सचिवालय, तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय को भेजी जाये ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाये ।

आर० वी० सुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव ।

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1962

सं० 4(11)/60-एल० ई० ई० आई०.—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 4(11)/60 एल० ई० ई० आई०, तारीख 18.9.62 में इलेक्ट्रानिक्स तथा वायरलैस उपकरण उद्योग के लिए तालिका का पुनर्गठन किया था । इस तालिका में 5,9,22 और 25 के सामने दी गई वर्तमान प्रविष्टियां संशोधित कर दी गई हैं जो क्रमशः निम्न रूप में पढ़ी जायेंगी ।

5. एयर कमोडोर, के० ए० जोसेफ, डाइरेक्टर आफ सिगनल्स, एयर हैडक्वार्टर्स, डी० एच० क्यू० पोस्ट आफिस, नई दिल्ली ।

9. श्री टी० वी० राममूर्ति, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, रेडियो कम्पोनेन्ट्स डेवलपमेंट सेक्शन, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली ।

22. प्रो० एच० रहीम, रिप्रेजेंटेटिव आफ दि आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली ।

25. श्री सोहन लाल, जोनल सेक्रेटरी आफ आल इंडिया रेडियो मर्चेण्ट्स एसोसियेशन, दिल्ली जोन, 12, न्यू लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-6 ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय को भेजी जाये ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाये ।

सी० बालसुब्रह्मण्यम्, उप सचिव ।

MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th January 1963

SUBJECT :—*Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun-Constitution of a Court for.*

No. 15-12/62-F.—The President hereby directs that the following amendments be made in the Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 12-4/59-F dated the 4th November, 1961, on the above subject, namely:—

1. In paragraph 4 the words "day to day" occurring in the first sentence thereof, shall be deleted.

2. After paragraph 4 the following paragraph shall be added namely:—

"1A.—The Executive Council may, by resolution, delegate to its Chairman powers to dispose of such administrative and financial matters as it may deem fit, without consideration of such matters by the Council, subject to the condition that the action taken by the Chairman under the powers so delegated by the Executive Council shall be reported for confirmation at the next meeting of the Council. It shall be open to the Chairman of the Council to redelegate such of the powers delegated to him by the Council as he may deem fit, to the Joint Secretary incharge of Forests in the Department of Agriculture subject to the condition that the action taken by the Joint Secretary under the powers so redelegated to him shall also be reported for confirmation at the next meeting of the Council."

G. R. KAMAT, Secy.

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

New Delhi, the 11th January 1963

No. 53(21)/62-F.II-A.H.IV.—Under Rules 2(44) and 41(27) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to appoint, the Director of Remounts and Veterinary Services, Ministry of Defence, As a member of the Council and its Advisory Board.

J. VEERA RAGHAVAN, Under Secy.

खाद्य और कृषि मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1963

विषय.—वन अनुसन्धान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून के लिए एक प्रशासन संगठन (Court) का संस्थापन ।

उपरोक्त विषय पर खाद्य और कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 12.4/59-एफ दिनांक 4 नवम्बर, 1962 में राष्ट्रपति निम्नलिखित संशोधन का आदेश देते हैं :—

1. पैरागाफ 4 के प्रथम वाक्य में आने वाले शब्द "दिन प्रति दिन" को काटा जाये ।

2. पैरागाफ 4 के बाद निम्नलिखित पैरागाफ जोड़ा जाये :—

"4ए.—कार्यकारी परिषद् प्रस्ताव द्वारा अपने अध्यक्ष को इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह प्रशासकीय और आर्थिक मामलों को जैसे वह उचित समझे निबटा सकता है । इसके लिए उसे परिषद् की अनुमति लेनी जरूरी नहीं है । किन्तु अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक होगा कि कार्यकारी परिषद् द्वारा सौंपे गये अधिकारों के अधीन वह जो भी कार्य करे उसे परिषद् की आगामी बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाये । परिषद् के अध्यक्ष की इच्छा पर होगा कि वह परिषद् द्वारा सौंपे गये अपने अधिकारों को कृषि विभाग में वनों के इंचार्ज संयुक्त सचिव को सौंप दें, बशर्ते कि सौंपे गये अधिकारों के अधीन संयुक्त सचिव भी जो कार्य करें उसे परिषद् की आगामी बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाये ।"

जी० आर० कामत, सचिव ।

अधिसूचना

(कृषि विभाग—भा० कृ० अ० प०)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1963

संख्या 53(21)/62-एफ ए० एच० iv.—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 2(44) और 4(27) के अधीन, खाद्य तथा कृषि मंत्री रक्षा मंत्रालय के घोड़ों की बदल और पशुचिकित्सा सेवाओं के निर्देशक को परिषद् और उसके सलाहकार बोर्ड के सदस्य नियुक्त करते हैं ।

जे० वीर राघवन्, अवर सचिव।

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 8th January 1963

No. F.1-20/62-SW.3.—In continuation of the Ministry of Education notification No. F.1-20/62-SW.3, dated the 16th September 1962, as modified by notification No. F.1-20/62-SW.3, dated the 29th October 1962, the Government of India are pleased to announce the extension of the term of the Central Social Welfare Board until further orders, with the following changes in its membership:—

(1) Shri R. K. Kapur, Joint Educational Adviser, will represent the Ministry of Education on the Board *vice* Shri R. P. Naik.

(2) Shri P. C. Bhattacharyya, Joint Secretary will represent the Ministry of Finance with effect from the 11th December 1962 *vice* Shri A. C. Bose.

(3) Smt. Hansa Mehta is nominated on the Board *vice* Smt. Indumati Chimanlal, who has since resigned.

NAUHRIA RAM, Dy. Educational Adviser.

RESOLUTION

New Delhi, the 17th December 1962

Indian National Commission for Cooperation with UNESCO

No. F.(21)-6/61-UU(INC).—In exercise of the powers vested in him under paragraph 4 of Article V of the Constitution of the Indian National Commission for Cooperation with Unesco, notified in the Government of India, Ministry of Education Resolution No. F.21-1/61-UU (INC) dated the 19th July, 1961 as amended by Resolutions No. F.21-6/61-UU (INC) dated the 27th March, 1962 and the 6th July, 1962, the President of the Commission is pleased to make the following amendments in paragraphs 2(b) and 2(e) of Article V of the Constitution of the Commission:—

I. *Paragraph 2(b) of Article V*

1. *For*

"*Natural Sciences Sub-Commission* consisting of eleven members".

Substitute

"*Natural Sciences Sub-Commission* consisting of twelve members".

2. *Add* after (*v*)

"(vi) one nominee of the National Institute of Sciences of India."

3. *Renumber*

"(vi)" as "(vii)".

II. *Paragraph 2(e) of Article V*

1. *For*

"*Mass Communication Sub-Commission* consisting of nine members".

Substitute

"*Mass Communication Sub-Commission* consisting of ten members".

2. *For*

"(i) Three nominees of the Ministry of Information and Broadcasting".

Substitute

"(i) Four nominees of the Ministry of Inforamtion & Broadcasting".

ORDERED that the Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. KIRPAL, Secy.

शिक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1963

संख्या एफ०1.20/62-एस०डब्ल्यू-3.—शिक्षा मंत्रालय की 29 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या एफ०1.20/62-एस०डब्ल्यू-3 द्वारा संशोधित 16 सितम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या एफ०1.20/62-एस०डब्ल्यू-3 के आगे, भारत सरकार, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्य-अवधि, दूसरे आदेश मिलने तक और इसकी सदस्यता में निम्नांकित संशोधनों के साथ, बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करती है:—

(1) श्री रघुवंश किशोर कपूर, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, श्री रमाप्रसन्न नायक के स्थान पर बोर्ड में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे ।

(2) श्री ए० सी० बोस के स्थान पर श्री पी० सी० भट्टाचार्य संयुक्त सचिव, 11 दिसम्बर, 1962 से, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे ।

(3) श्रीमती हंसा मेहता को, श्रीमती इन्दुमति चिमनलाल के स्थान पर बोर्ड के लिए नामजद किया जाता है । श्रीमती इन्दुमति चिमनलाल ने इस्तीफा दे दिया है ।

नौहरिया राम, उप शिक्षा सलाहकार।

संकल्प

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1962

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

संख्या एफ० 21.6/61-यू०यू० (आई एन सी).—यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संविधान के अनुच्छेद V के पैरा 4 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिनकी अधिसूचना 27 मार्च, 1962 और 6 जुलाई, 1962 के संकल्पों द्वारा संशोधित भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के 19 जुलाई 1961 के संकल्प संख्या एफ 21.1/61-यू० यू० (आई एन सी) में दी गई थी; आयोग के प्रधान, आयोग के संविधान के अनुच्छेद V के पैरा 2 (ख) और पैरा 2 (ङ०) में में सहर्ष निम्नांकित संशोधन करते हैं :—

I. अनुच्छेद V का पैरा 2 (ख)

1. "ग्यारह सदस्यों का प्राकृतिक विज्ञान उप-आयोग" के स्थान पर "बारह सदस्यों का प्राकृतिक विज्ञान उप-आयोग" लिखिए।

2. (V) के बाद "(vi) भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का एक नामजद प्रतिनिधि" जोड़िए

3. "(vi)" को "(vii)" लिखिए

II. अनुच्छेद V का पैरा 2 (ङ)

1. "नौ सदस्यों का सामूहिक संचार उप-आयोग" के स्थान पर "दस सदस्यों का सामूहिक संचार उप-आयोग" लिखिए।

2. "(i) सूचना और प्रसार मंत्रालय के तीन नामजद प्रतिनिधि" के स्थान पर "(i) सूचना और प्रसार मंत्रालय के चार नामजद प्रतिनिधि" लिखिए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय, आयोजना आयोग, मंत्रीमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

प्रेम कृपाल, सचिव।

MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st January 1963

No. 5(28)/62-SRI.—In pursuance of Article 89 of the Articles of Association of the National Research Development Corporation (a Company registered under the Companies Act of 1956) the President is pleased to reconstitute the Board of Directors of the Corporation for a period of one year with effect from the 1st January, 1963 and to appoint the following as Directors:—

1. Prof. M. S. Thacker, Member, Planning Commission, New Delhi.
2. Dr. S. Husain Zaheer, Director General, Scientific and Industrial Research, New Delhi.
3. Shri R. P. Padhi, Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Finance, New Delhi.
4. Dr. A. N. Kapur, Executive Director, National Research Development Corporation of India, New Delhi.
5. Dr. A. Seetharamiah, Industrial Adviser (Chemicals), Ministry of Economics & Defence Co-ordination, New Delhi.
6. Dr. B. R. Nijhawan, Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.
7. Dr. Y. Nayudamma, Director, Central Leather Research Institute, Madras.

2. In accordance with Article 103 of the Articles of Association the President is pleased to nominate Prof. M. S. Thacker to be the Chairman and Dr. S. Husain Zaheer to be the Vice-Chairman of the reconstituted Board of Directors.

M. M. KUSARI, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th January 1963

No. F.16-144/61-SIII.—It is notified for general information that the Government of India have taken over control of the Indian Botanic Garden, Sibpur, Howrah, from the Government of West Bengal, with effect from the 1st January, 1963. The Indian Botanic Garden will function as a unit of the Botanical Survey of India.

S. K. SANYAL, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January, 1963

State Awards for Films

No. 7/4/63-FI.—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 21/11/59-FC(FI), dated the 27th November, 1959, the following rules are notified concerning State Awards for Films :—

Rules

1. The object of the State Awards for Films is to encourage the production of films of a high aesthetic and technical standard and of educational or cultural value.

2. (1) The following State Awards for Films have been instituted :—

ALL-INDIA AWARDS

(a) *Feature Films*

(i) President's Gold Medal for the best film and a cash prize of Rs. 20,000 to its producer and Rs. 5,000 to its director.

(ii) All-India Certificate of Merit for the second best film and a cash prize of Rs. 10,000 to its producer and Rs. 2,500 to its director.

(iii) All-India Certificate of Merit for the third best film.

(iv) All-India Certificates of Merit for the best and second-best story-writers in respect of the feature films entered for the Awards and examined by the Committees of Awards.

(b) *Documentary Films*

(i) President's Gold Medal for the best film and a cash prize of Rs. 4,000 to its producer and Rs. 1,000 to its director.

(ii) All-India Certificate of Merit for the second best film and a cash prize of Rs. 2,000 to its producer and Rs. 500 to its director.

(iii) All-India Certificate of Merit for the third best film.

(c) *Children's Films*

(i) Prime Minister's Gold Medal for the best film and a cash prize of Rs. 20,000 to its producer and Rs. 5,000 to its director.

(ii) All-India Certificate of Merit for the second best film and a cash prize of Rs. 10,000 to its producer and Rs. 2,500 to its director.

(iii) All-India Certificate of Merit for the third best film.

(d) *Educational Films* (16 *mm only*)

(i) President's Gold Medal for the best film and a cash prize of Rs. 4,000 to its producer and Rs. 1,000 to its director.

(ii) All-India Certificates of Merit for the second and third best films.

NOTE.—The term 'educational film' means an educational film in 16 mm only and includes a scientific, instructional or experimental film.

(e) *Filmstrips* (35 *mm*)

(i) President's Silver Medal for the best filmstrips

(ii) All-India Certificates of Merit for the second and third best filmstrips.

Regional Awards

(f) President's Silver Medal for the best feature film in each Indian language and Certificates of Merit for the two next best feature films in each such language.

Explanation

The terms "producer" and "director" used herein will be construed as referring to the producer or director, as the case may be, as given in the credit titles of the film duly certified by the Central Board of Film Censors.

2. (2) Government may, at its discretion, give the cash prizes in the form of National Defence Certificates and Defence Deposit Certificates or any other similar Certificates issued by the Government of India.

3. The Awards will be made annually on a date to be fixed by Government.

4. All Indian films certified for public exhibition by the Central Board of Film Censors and all filmstrips certified by the producers as produced in the preceding calendar year will be eligible for entry, which may be made by the producer or any other duly authorised person in the Form contained in the Schedule hereto annexed:

Provided that a film entered as a Children's film shall not be eligible for entry as a Feature film and *vice versa*.

5. Every application for entry, in respect of a feature film, shall be accompanied by an entry fee of Rs. 100/- which shall not be refundable.

Each entrant will submit at his cost to such Regional Officer of the Central Board of Film Censors or to any other authority as may be specified:

(i) a print of the film or the filmstrip as the case may be; and

(ii) a copy of the synopsis, together with an English rendering thereof and a copy of the songs, if any, together with their free translation in English or Hindi.

The entrant of a film selected for viewing by the Central Committee will submit at his cost the specified number of copies of the detailed dialogue script in English or Hindi as well as the publicity material relating thereto in addition to the print and synopsis of the film.

6. The decision of the Government of India whether a film is eligible to be entered for the Awards and whether any film is a feature film, documentary film, educational film or children's film for the purpose of entry for the Awards will be final.

The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the Awards shall be 3400 metres in 35 mm or 1360 metres in 16 mm.

7. A film which is a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already won a State Award, will not be eligible for consideration for the Awards. The producer of a film made in more than one language versions, may enter only one of the versions of that film.

8. Entries for the Awards will be invited by Government during a period to be notified, relaxable in exceptional cases at the discreation of Government.

9. All transport costs on the consignment and return of the films and publicity material will be payable by the entrant.

10. All films will be submitted at owner's risk and while the Government will take every reasonable care of the films submitted, it cannot accept responsibility for loss or damage to the film while in its possession.

11. Three Regional Committees appointed by Government will initially examine feature films entered for the Awards in the languages indicated below:—

(i) Regional Committee at Bombay—Hindi (including Urdu and Hindustani), Marathi, Punjabi, Gujarati, Sindhi and English.

(ii) Regional Committee at Calcutta—Bengali, Assamese and Oriya.

(iii) Regional Committee at Madras—Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

12. Each Regional Committee will be composed of:—

(a) A Chairman nominated by Government.

(b) Not more than four distinguished persons of culture, art or literature nominated by Government (Care will be taken to ensure that all the languages of the region are represented in the selection of these four persons.

(c) Persons, not exceeding three, qualified to judge technical standard, presentation, direction and treatment values of films, nominated by Government from a panel of names representing the industry.

13. The Regional Committees will recommend, in order of merit:—

(i) a list of 3 feature films in each language and

(ii) a list of 3 story-writers

for consideration by the Central Committee.

14. The documentary films entered for the Awards will be initially examined by a Documentary Committee appointed by Government with a membership not exceeding five including the Chairman. This Committee will recommend in order of merit up to six documentary films for consideration by the Central Committee.

15. The educational films and filmstrips entered for the Awards will be initially examined by an Educational Committee appointed by Government with a membership not exceeding five including the Chairman. The Committee will recommend in order of merit up to six educational films and up to six filmstrips for consideration by the Central Committee.

16. The Central Committee will be composed of:—

(a) A Chairman nominated by Government.

(b) Chairman of the three Regional Committee's Educational Committee and the Documentary Committee. Where a Chairman is not available to sit on the Central Committee Government may nominate a member of the Committee concerned on the Central Committee.

(c) Not more than four distinguished persons of culture, art or literature nominated by Government.

(d) Persons, not exceeding three, qualified to judge technical standard, presentation, direction and treatment values of films, nominated by Government from a panel of names representing the industry.

(e) One member of the Central Board of Film Censors nominated by Government.

17. Notwithstanding anything contained in rules 12 and 16, Government may co opt on the Central or a Regional Committee, such number of additional members as may, in its opinion, be considered necessary to ensure adequate availability of members knowing each language in which films are to be adjudged by such Committee. Further, nothing contained in rules 14, 15 and 20 shall preclude co-option of an additional member or members to assist the Documentary Committee, Educational Committee or the Special Committee constituted for the initial examination of children's films. The members so co-opted shall have all the rights of an ordinary member.

18. Membership of the Central, Documentary, Educational and Regional Committees and the Special Committee, if any, constituted for the examination of children's films, will be honorary but the members may be allowed such travelling and conveyance allowances as may be sanctioned by Government from time to time.

19. The Central Committee will consider the recommendations of the Regional Committees, the Educational Committee and the Documentary Committee and recommend in order of merit:—

(1) Three best feature films for the All-India Awards.

(2) Three best documentary films for the All-India Awards.

(3) Three best educational films for the All-India Awards.

(4) Three best filmstrips for the All-India Awards.

(5) Two best story-writers for All-India Awards.

(6) Three best features films in each language other than English for Regional Awards.

20. (1) The Central Committee will, subject to the provisions of sub-rule (2), also examine the children's films entered for the Awards and recommend the best three films in order of merit.

(2) If the number of entries in the category of children's films so warrants, Government may entrust the initial examination of films to the Documentary Committee or a Special Committee constituted for this purpose consisting of not more than five members including the Chairman, which will recommend in order of merit, not more than six films for consideration by the Central Committee.

21. The Regional Committees, the Documentary Committee, the Educational Committee, the Special Committee for Children's Films (if any) and the Central Committee may determine their own procedure for the examination of films.

22. The quorum of the Central, Documentary, Educational, the Special Committee (if any) for Children's Films, or a Regional Committee, shall be half the total number of members including the co opted members.

23. Nothing contained herein shall be construed as restricting the discretion of a Regional Committee, the Documentary Committee, the Educational Committee, the Special Committee for Children's Films (if any) or the Central Committee from making a recommendation that none of the films in a particular language or category, or that none of the stories of the feature films, examined by a Regional Committee or the Central Committee, is of a standard adequate for an Award.

24. The recommendations of the Central Committee will be submitted to Government.

25. A film will be eligible for an Award only in one of the four categories viz., feature, documentary, educational or children's film. A feature film receiving an All-India Award shall not be eligible for a Regional Award.

26. The Regional Committees, the Documentary Committee, the Educational Committee, the Special Committee for Children's Films (if any) and the Central Committee will examine films at such place and time as may be considered feasible.

27. Government shall be entitled to retain, without payment of cost, the print entered for the Awards of a film or filmstrip, which receives an Award in the form of a medal and/or cash.

28. The function for the presentation of the Awards will be held at such place and on such date as Government may determine.

29. Canvassing in any form in respect of an entry will render that entry liable to disqualification for Awards. Any member of the Central Committee, Documentary Committee, Educational Committee, the Special Committee for Children's Films (if any) or the Regional Committees found canvassing for a particular film is liable to be disqualified for membership of the Committees.

SCHEDULE

Form

For entry for the State Awards for Films

(To be submitted in duplicate)

(*See* rule 4)

To

The Regional Officer,

Central Board of Film Censors,

Bombay/Calcutta/Madras

ENTRY FOR STATE AWARDS FOR FILMS

1. (i) Title of the film/filmstrip.

(ii) Whether Feature/Documentary/Educational/Children's Film.

(iii) Language of the film.

(iv) Length and gauge of the film/filmstrip.

(v) Number of reels

(vi) Colour of the film/filmstrip

(vii) Name and full address of the producer (with telephone number and telegraphic address, if any)

(viii) Name and full address of the Director

(ix) Name and full address of the Story Writer

(x) Name and full address of the leading male artist and leading female artist

(xi) Number and date of Certificate of Exhibition issued by the Central Board of Film Censors

(xii) Date of release.

2. Please state whether the film is a dubbed version, an adaptation or a retake of another film. If so, give particulars of the film of which it is a dubbed version, an adaptation or a retake.

3. Where the person making the entry is not the producer, please state whether he has been duly authorised to make the entry.

*"I certify that the film is not a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already won a State Award.

*"I certify that the filmstrip was produced during the year.....

"I further certify that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

"I hereby agree to the Government retaining the print of the film/filmstrip, without payment of cost, in the event of its receiving an Award in the form of a Medal and/or Cash".

Date: Signature:
Place: Address:

*Delete if not applicable.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. KRISHNA AYYAR, Dy. Secy.

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 10th January 1963

State Awards for Films

No. 7/1/63-FI(I).—In pursuance of rule 8 of the Rules concerning State Awards for Films notified in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/4/63-FI dated the 9th January, 1963, entries for the State Awards for Films are hereby invited in respect of Indian films certified for public exhibition during the calendar year 1962 and filmstrips produced during the said year. The entry in respect of a film or filmstrip may be made by its producer or any other person duly authorised by him in this behalf up to February 1, 1963. The entry should be made in duplicate in the form prescribed in the Schedule annexed to the Rules referred to above. The entry forms in the case of feature films shall be accompanied by a Treasury Challan in respect of the entry fee of Rs. 100 (Rupees one hundred only) credited to Government Account under the Head "XXI—Miscellaneous Departments".

2. Entries in respect of the various categories of films should be addressed to the authorities indicated below:—

(a) Regional Officer, Central Board of Film Censors, 91-Walkeshwar Road, Bombay-6.	(i) Feature films in Hindi (including Urdu and Hindustani), Gujarati, Marathi, Punjabi, Sindhi and English. (ii) Documentary films in all languages. (iii) Children's films in all languages. (iv) Educational films in 16 mm in all languages. (v) Filmstrips in 35 mm.
(b) Regional Officer, Central Board of Film Censors, All India Radio Building, Eden Gardens, Calcutta-1.	Feature films in Bengali, Oriya and Assamese.
(c) Regional Officer, Central Board of Film Censors, 53-Usman Road, T'Nagar, Madras-17.	Feature Films in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

3. An entrant will be required to submit at his cost to the appropriate Regional Officer of the Central Board of Film Censors or to any other authority as may be specified, a print of the film or filmstrip and such number of copies of the synopsis and songs together with an English rendering thereof as may be specified in this behalf. The entrant of a film selected for viewing by the Central Committee will submit at his cost the specified number of copies of the detailed dialogue script in English or Hindi as well as the publicity material relating thereto in addition to the print and synopsis of the film.

4. The length of a children's film should not exceed 3,400 metres in 35 mm or 1,360 metres in 16 mm for the purpose of entry for the Awards. A film entered as a children's film will not be eligible for entry as a feature film or *vice versa*.

5. The films winning the Awards are likely to be exhibited at a Festival of Films to be organised by Government following the function for the distribution of the Awards.

No. 7/1/63-FI(II).—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Health No. F. 1-67/62/62-HII(FP) dated the 3rd September, 1962, entries for the All India Award for the best feature film on Family Planning are hereby invited in respect of Indian feature films certified for public exhibition during the calendar year 1962 and which have either achieved a run of 12 weeks by the date of the entry or been entered for the State Awards for Films in response to the Public Notice of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/1/63-FI(I) dated the 10th January, 1963. The entry in respect of a film may be made by its producer or any other person duly authorised by him in this behalf, free of charge, upto February 1, 1963. The entry should be made in duplicate in the form prescribed in the Schedule annexed to the Rules concerning State Awards for Films notified in the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting Resolution No. 7/4/63-FI, dated the 9th January, 1963 and superscribed in bold letters "Entry for All India Award for best feature film on Family Planning".

2. The entries should be addressed to the authorities indicated below :—

(a) Regional Officer, Central Board of Film censors, 91 Walkeshwar Road, Bombay-6.	Films in Hindi (including Urdu and Hindustani), Gujarati, Marathi, Punjabi, Sindhi and English.
(b) Regional Officer, Central Board of Films Censors, All India Radio Building, Eden Gardens, Calcutta-1.	Films in Bengali, Oriya and Assamese.
(c) Regional Officer, Central Board of Film Censors, 53-Usman Road, T'Nagar, Madras-17.	Films in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

3. An entrant will be required to submit at his cost to such Regional Officer of the Central Board of Film Censors or to any other authority as may be specified, a print of the film and such number of copies of the synopsis and songs together with an English rendering thereof as may be specified in this behalf. The entrant of a film selected for viewing by the Central Committee will submit at his cost the specified number of copies of the detailed dialogue script in English or Hindi as well as the publicity material relating thereto in addition to the print and synopsis of the film.

4. The film winning the Award is likely to be exhibited at a Festival of Films to be organised by Government following the function for the distribution of the Awards.

5. Government will be entitled to retain, without payment of cost, the print of the film winning the Award submitted for viewing by the Central Committee.

S. PADMANABHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जनवरी 1963

फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कार

संख्या 7/4/63-एफ०आई०.—भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 21/11/59-एफ० सी० (एफ० आई०), 27 नवम्बर, 1959 का अधिलंघन करते हुए, फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कार सम्बन्धी निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं:—

नियम

1. फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारों का उद्देश्य उच्च कलात्मक और तकनीकी स्तर की तथा शैक्षणिक या सांस्कृतिक महत्व की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

2. (1) फिल्मों के लिए निम्नलिखित राजकीय पुरस्कार रखे गए हैं:—

अखिल भारतीय पुरस्कार

(क) **फीचर (रूपक) फिल्में**

(1) सर्वोत्तम फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक और उसके निर्माता को 20,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार।

(2) दूसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र और उसके निर्माता को 10,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार।

(3) तीसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

(4) पुरस्कार के लिए आई और पुरस्कार समितियों द्वारा देखी गई फीचर फिल्मों के सर्वोत्तम और दूसरे नम्बर के कहानी-लेखकों को अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

(ख) **वृत्त चित्र (डाक्यूमेंट्री फिल्में)**

(1) सर्वोत्तम फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक और उसके निर्माता को 4,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार।

(2) दूसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र और उसके निर्माता को 2,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 500 रुपए का नगद पुरस्कार।

(3) तीसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

(ग) **बाल चित्र या बच्चों की फिल्में**

(1) सर्वोत्तम फिल्म के लिए प्रधान मंत्री का स्वर्ण-पदक और उसके निर्माता को 20,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार।

(2) दूसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र और उसके निर्माता को 10,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार।

(3) तीसरे नम्बर की फिल्म के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

(घ) **शैक्षणिक फिल्में (केवल 16 मिलिमीटर)**

(1) सर्वोत्तम फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक और उसके निर्माता को 4,000 रुपए का तथा उसके निर्देशक को 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार।

(2) दूसरे और तीसरे नम्बर की फिल्मों के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

नोट.—यहां पर "शैक्षणिक फिल्म" का अर्थ केवल 16 मिलिमीटर की शैक्षणिक फिल्म से है और इसमें वैज्ञानिक, शिक्षात्मक और प्रयोगात्मक फिल्में भी शामिल हैं।

(ङ) **फिल्म-स्ट्रिपें (35 मिलिमीटर)**

(1) सर्वोत्तम फिल्म-स्ट्रिप के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक।

(2) दूसरी और तीसरी सर्वोत्तम फिल्म-स्ट्रिपों के लिए अखिल-भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।

प्रादेशिक पुरस्कार

(च) प्रत्येक भारतीय भाषा की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत-पदक और ऐसी प्रत्येक भाषा की दूसरे और तीसरे नंबर की फीचर फिल्मों के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र।

स्पष्टीकरण

यहां पर "निर्माता" तथा "निर्देशक" शब्दों से अभिप्राय क्रमशः उस निर्माता या निर्देशक से होगा जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रमाणित फिल्म के नामोल्लेख में दिया होगा।

2. सरकार स्वविनर्णयानुसार नगद पुरस्कारों को राष्ट्रीय रक्षा पत्रों और रक्षा जमा-पत्रों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे ही अन्य पत्रों के रूप में दे सकेगी।

3. पुरस्कार सरकार द्वारा निश्चित तिथि पर प्रति वर्ष दिए जायेंगे।

4. केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित वे सभी भारतीय फिल्में और निर्माताओं द्वारा प्रमाणित वे सभी फिल्म-स्ट्रिपें जो पूर्वगामी कैलेंडर वर्ष में बनाई गई होंगी, प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगी और निर्माता या अन्य कोई विधिवत् अधिकृत व्यक्ति संलग्न अनुसूची में दिए गए फार्म में प्रविष्टि भेज सकेगा।

बशर्ते कि जो फिल्म बाल चित्र के रूप में प्रविष्ट होगी वह फीचर फिल्म के रूप में और जो फीचर फिल्म के रूप में प्रविष्ट होगी वह बाल चित्र के रूप में प्रविष्ट नहीं हो सकेगी।

5. फीचर फिल्म की प्रविष्टि के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ 100 रुपए की फीस भी भेजनी होगी जो वापिस नहीं की जाएगी।

प्रत्येक प्रवेशक निर्धारित किए गए, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रादेशिक अफसर या किसी अन्य अधिकारी को निम्न चीजें अपने खर्चे पर भेजेगा:—

(1) फिल्म या फिल्म-स्ट्रिप की प्रिंट; और

(2) अंग्रेजी अनुवाद के साथ सिनाप्सिस की एक प्रति और यदि गाने हों तो अंग्रेजी या हिंदी में भावानुवाद के साथ एक प्रति।

केन्द्रीय समिति के देखने के लिए चुनी गई फिल्म के प्रवेशक को अपने खर्च पर फिल्म की प्रिंट और रूप-रेखा के अतिरिक्त अंग्रेजी या हिंदी में, निर्धारित संख्या में, विस्तृत कथोपकथन की स्क्रिप्ट की प्रतियां और उससे सम्बन्धित प्रचार सामग्री भी भेजनी होगी।

6. कोई फिल्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि के योग्य है या नहीं और कोई फिल्म फीचर फिल्म है या डाक्यूमेंट्री फिल्म या शैक्षणिक फिल्म या बाल चित्र इस सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

प्रविष्टि के लिए बाल-चित्रों की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1,360 मीटर होनी चाहिये।

7. यदि कोई फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रि-टेक या रूपान्तर है जो पहले ही राजकीय पुरस्कार पा चुकी हो, तो वह पुरस्कारार्थ विचार योग्य नहीं होगी। यदि किसी फिल्म के रूपान्तर एक से अधिक भाषाओं में बन चुके हों, तो उसका निर्माता उस फिल्म का केवल एक ही रूपान्तर प्रविष्ट कर सकेगा।

8. पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां सरकार द्वारा जिस अवधि में मांगी जाएंगी, वह अधिसूचित की जाएगी और अपवाद स्वरूप ही सरकार की मर्जी पर उस में छूट दी जा सकेगी।

9. फिल्मों और प्रचार सामग्री के लाने ले जाने पर जो परिवहन व्यय होगा, वह सारा प्रवेशक को देना होगा।

10. सभी फिल्में मालिक के जोखिम पर भेजी जाएंगी और यद्यपि सरकार उन सभी फिल्मों की समुचित देखभाल करेगी, फिर भी उसके पास रहते समय किसी फिल्म के गुम या खराब हो जाने की जिम्मेवारी सरकार पर नहीं होगी।

11. सरकार द्वारा नियुक्त तीन प्रादेशिक समितियां पुरस्कार के लिए जिन जिन भाषाओं की फीचर फिल्मों की आरम्भिक जांच करेंगी, वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्रादेशिक समिति, बम्बई-हिन्दी (उर्दू और हिन्दुस्तानी सहित), मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और अंग्रेजी।

(2) प्रादेशिक समिति, कलकत्ता-बंगला, असमिया और उड़िया।

(3) प्रादेशिक समिति, मद्रास-तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम।

12. प्रत्येक प्रादेशिक समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष।

(ख) सरकार द्वारा नामजद संस्कृति, कला या साहित्य क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित अधिक से अधिक चार व्यक्ति। (इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ये चार व्यक्ति इस प्रकार से चुने जाएं कि क्षेत्र की सभी भाषाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके)।

(ग) फिल्मों के तकनीकी स्तर, प्रस्तुति, निर्देशन और प्रतिपादन परखने की योग्यता वाले अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की सूची में से सरकार द्वारा नामजद किए जायेंगे।

13. प्रादेशिक समितियां केन्द्रीय समिति के विचारार्थ योग्यता क्रम से (1) प्रत्येक भाषा की तीन तीन फीचर फिल्मों की एक सूची और (2) तीन कहानी-लेखकों की एक सूची प्रस्तुत करेंगी।

14. पुरस्कारार्थ प्रविष्ट डाक्यूमेंट्री फिल्मों की आरंभिक परख सरकार द्वारा नियुक्त डाक्यूमेंट्री समिति करेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह समिति केन्द्रीय समिति के विचारार्थ योग्यताक्रम से छः डाक्यूमेंट्री फिल्मों तक को चुनेगी।

15. पुरस्कारार्थ प्रविष्ट शैक्षणिक फिल्मों और फिल्म-स्ट्रिपों की आरंभिक परख सरकार द्वारा नियुक्त शैक्षणिक समिति करेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह समिति केन्द्रीय समिति के विचारार्थ योग्यताक्रम से छः शैक्षणिक फिल्मों और छः फिल्म-स्ट्रिपों तक को चुनेगी।

16. केन्द्रीय समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष।

(ख) तीनों प्रादेशिक समितियों, शैक्षणिक समिति और डाक्यूमेंट्री समिति के अध्यक्ष। यदि केन्द्रीय समिति में बैठने के लिए कोई अध्यक्ष उपलब्ध नहीं होगा, तो सरकार सम्बन्धित समिति के किसी सदस्य को केन्द्रीय समिति का सदस्य नामजद कर सकेगी।

(ग) सरकार द्वारा नामजद संस्कृति, कला या साहित्य क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित अधिक से अधिक 4 व्यक्ति।

(घ) फिल्मों के तकनीकी स्तर, प्रस्तुति, निर्देशन और प्रतिपादन की परख में योग्यता रखने वाले अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की सूची में से सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे।

(ङ) सरकार द्वारा नामजद, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का एक सदस्य।

17. नियम 12 और 16 के बावजूद सरकार केन्द्रीय व प्रादेशिक समितियों में इतने सदस्यों को सह-योजित कर सकेगी, जितने उसके विचार में इस बात के लिए आवश्यक होंगे कि समिति को जिन जिन भाषाओं की फिल्मों की जांच करनी है, उसमें उन सब भाषाओं के जानने वाले सदस्यों की पर्याप्त संख्या हो जाए। नियम 14, 15 और 20 की कोई बात डाक्यूमेंट्री समिति, शैक्षणिक समिति या बाल-चित्रों की आरम्भिक जांच के लिए गठित विशेष समिति को सहायता देने के लिए अतिरिक्त सदस्य या सदस्यों के सह-योजन को नहीं रोकेगी। इस प्रकार से सह-योजित सदस्यों को साधारण सदस्यों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

18. केन्द्रीय, डाक्यूमेंट्री, शैक्षणिक और प्रादेशिक समितियों और बाल-चित्रों की जांच के लिए बनी विशेष समिति (यदि कोई हो) की सदस्यता अवैतनिक होगी, लेकिन सदस्यों को सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर सफर और सवारी भत्ते दिए जाएंगे।

19. केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक समितियों, शैक्षणिक समिति और डाक्यूमेंट्री समिति की सिफारिशों पर विचार करके योग्यता क्रम से निम्नलिखित सिफारिशें करेगी:—

(1) अखिल-भारतीय पुरस्कारों के लिए तीन सर्वोत्तम फीचर फिल्में।

(2) अखिल-भारतीय पुरस्कारों के लिए तीन सर्वोत्तम डाक्यूमेंट्री फिल्में।

(3) अखिल-भारतीय पुरस्कारों के लिए तीन सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्में।

(4) अखिल-भारतीय पुरस्कारों के लिए तीन सर्वोत्तम फिल्म-स्ट्रिपें।

(5) अखिल-भारतीय पुरस्कारों के लिए दो सर्वोत्तम कहानी-लेखक।

(6) प्रादेशिक पुरस्कारों के लिए अंग्रेजी को छोड़ कर अन्य प्रत्येक भाषा की तीन सर्वोत्तम फीचर फिल्में।

20. (1) उप-नियम (2) के अधीन केन्द्रीय समिति पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट बाल-चित्रों की भी परख करेगी और योग्यता क्रम से तीन सर्वोत्तम फिल्मों की सिफारिश करेगी।

(2) यदि बाल-चित्रों की प्रविष्टियों की संख्या काफी अधिक हो, तो सरकार फिल्मों की आरम्भिक परख का काम डाक्यूमेंट्री समिति या इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष समिति को सौंप सकती है जिसमें अध्यक्ष को मिला कर पांच से अधिक सदस्य न होंगे। ये समितियां योग्यताक्रम से अधिक से अधिक छः फिल्में केन्द्रीय समिति के विचारार्थ चुनेंगी।

21. प्रादेशिक समितियां, डाक्यूमेंट्री समिति, शैक्षणिक समिति और बाल-चित्रों के लिए बनी विशेष समिति (यदि कोई हो) और केन्द्रीय समिति फिल्मों की परख की अपनी कार्य-विधि स्वयं निश्चित करेंगी।

22. केन्द्रीय, डाक्यूमेंट्री, शैक्षणिक, बाल-चित्रों के लिए बनी विशेष समिति (यदि कोई हो) या प्रादेशिक समिति का कोरम सह-योजित सदस्यों को मिला कर सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा।

23. इन नियमों में निहित कोई बात प्रादेशिक समिति, डाक्यूमेंट्री समिति, शैक्षणिक समिति, बाल-चित्रों के लिए बनी विशेष समिति (यदि कोई हो) या केन्द्रीय समिति के लिए यह सिफारिश करने में बाधक नहीं होगी कि किसी विशेष भाषा या श्रेणी की फिल्मों में से एक भी फिल्म या किसी प्रादेशिक समिति या केन्द्रीय समिति द्वारा परखी फीचर फिल्मों की कहानियों में से एक भी कहानी पुरस्कार के लिए समुचित स्तर की नहीं है।

24. केन्द्रीय समिति की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

25. एक फिल्म, फीचर, डाक्यूमेंट्री, शैक्षणिक या बाल-चित्र, इन चार श्रेणियों में से एक ही के लिए पुरस्कार के योग्य होगी । अखिल-भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फीचर फिल्म प्रादेशिक पुरस्कार के योग्य नहीं होगी ।

26. प्रादेशिक समितियां, डाक्यूमेंट्री समिति, शैक्षणिक समिति, बाल-चित्रों के लिए बनी विशेष समिति (यदि कोई हो) और केन्द्रीय समिति ऐसे स्थान और समय पर फिल्मों की जांच करेगी जिसे वह सुविधाजनक समझे ।

27. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पुरस्कार के लिए प्रविष्ट इस फिल्म या फिल्म-स्ट्रिप की प्रिंट को जिसे पदक और/या नगद के रूप में कोई पुरस्कार मिला हो, बिना किसी मूल्य के अपने पास रख सके ।

28. पुरस्कार-वितरण समारोह ऐसी जगह और ऐसी तिथि पर होगा जो सरकार निर्धारित करे ।

29. यदि किसी प्रविष्टि के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई कोशिश पैरवी होगी तो वह प्रविष्टि पुरस्कार के अयोग्य ठहरा दी जायेगी । यदि केन्द्रीय समिति, डाक्यूमेंट्री समिति, शैक्षणिक समिति, बाल-चित्र के लिए विशेष समिति (यदि कोई हो) या प्रादेशिक समितियों का कोई सदस्य किसी विशेष फिल्म के लिए कोशिश पैरवी करता हुआ पाया गया, तो वह समितियों की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा ।

अनुसूची

फार्म

फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिए

(दो प्रतियां भेजनी हैं)

(नियम 4 को देखें)

सेवा में,

प्रादेशिक अफसर,

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड,

बम्बई/कलकत्ता/मद्रास ।

फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारार्थ प्रविष्टि

1. (1) फिल्म/फिल्म-स्ट्रिप का शीर्षक ।

(2) क्या यह फीचर/डाक्यूमेंट्री/शैक्षणिक/बाल-चित्र है ।

(3) फिल्म की भाषा ।

(4) फिल्म/फिल्म-स्ट्रिप की लम्बाई और गेज ।

(5) रीलों की संख्या ।

(6) फिल्म/फिल्म-स्ट्रिप का रंग ।

(7) निर्माता का नाम और पूरा पता (यदि हो तो टेलीफोन नं० और तार के पते के साथ) ।

(8) निर्देशक का नाम और पूरा पता ।

(9) कहानी-लेखक का नाम और पूरा पता ।

(10) नायक व नायिका के नाम और पूरे पते ।

(11) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रदर्शन-प्रमाण-पत्र की संख्या और तिथि ।

(12) रिलीज की तिथि ।

2. कृपया लिखें कि क्या फिल्म किसी दूसरी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रिटेक या रूपान्तर है । यदि हां, तो जिस फिल्म का यह डब किया हुआ रूप, रिटेक या रूपान्तर है, उसका ब्यौरा दें ।

3. यदि प्रविष्टि करने वाला व्यक्ति निर्माता नहीं है, तो लिखें कि क्या वह प्रविष्टि करने के लिए विधिवत् अधिकृत है ?

*"मैं" प्रमाणित करता हूं कि यह फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रिटेक या रूपान्तर नहीं है जो पहले राजकीय पुरस्कार पा चुकी है ।

*"मैं" प्रमाणित करता हूं कि यह फिल्म-स्ट्रिप सन् में बनायी गयी थी ।

"मैं" यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है" ।

"मैं" यह स्वीकार करता हूं कि यदि इस फिल्म/फिल्म-स्ट्रिप को पदक और/या नगद के रूप में कोई पुरस्कार मिले, तो सरकार बिना किसी मूल्य के इसकी प्रिंट रख सकेगी" ।

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान : पता

---

*जो लागू न हो उसको काट दें ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व-साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ध० कृष्णा अय्यर, उप-सचिव ।